रजि. नं. एस. डब्लू./एन0. पी. 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 मार्च, 1998
चैत्र 9, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 627/सत्रह-वि-1--1 (क) 7-1998
लखनऊ, 30 मार्च, 1998

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 28 मार्च, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 3-क का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-क में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "दस पैसे और पच्चीस पैसे" के स्थान पर शब्द "पच्चीस पैसे और साठ पैसे" रख दिए जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (3) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :--

"परन्तु निम्नलिखित दशाओं में आमोद कर की वापसी की अनुमति नहीं दी जायगी, जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि,--

(एक) ऐसे कर की वापसी का दावा, ऐसे किसी मामले में किया गया है जहां ऐसे कर का आपतन वास्तविक रूप से ऐसे व्यक्तियों को किया गया हो जिन्होंने प्रवेश के लिए भुगतान किया हो; या

(दो) ऐसे कर की वापसी का दावा, ऐसे आमोद के सम्बन्ध में किया गया है जिसके लिए किसी प्रोत्साहन योजना के अधीन राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त की गयी हो और मालिक ने ऐसे अनुदान की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो :

परन्तु यह और कि कर की वापसी का दावा तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि ऐसी वापसी का दावा उसके देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर न कर दिया जाय :

परन्तु यह भी कि जहां किसी आमोद के मालिक द्वारा आमोद में प्रवेश पाने वाले किसी व्यक्ति से अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों के उल्लंघन में ऐसे कर की कोई धनराशि वसूल की जाती है तो उक्त मालिक से इस प्रकार वसूल की गई सम्पूर्ण धनराशि, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, जमा करने की अपेक्षा की जायगी।"

नई धारा 34-क का बढ़ाया जाना

4--मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

"34-क--यदि किसी आमोद के मालिक द्वारा अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन देय कर का तद्धीन बनाये गये नियमों में कर के भुगतान के लिये विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भुगतान नहीं किया जाता है तो संगणित कर को भुगतान न की गयी धनराशि पर ऐसी समाप्ति के दिनांक से तीन माह तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से और इसके पश्चात् दो प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय होगा और भुगतान किया जायगा।"

ब्याज

आज्ञा से,
गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव।

No. 627 (2)/XVII-V-1—1(KA)-7-1998

Dated Lucknow, March 30, 1998

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Aamod Aur Pankar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 28, 1998:

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 1998

(U. P. ACT NO. 14 OF 1998)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1998.

Amendment of section 3-A of U. P. Act no. 28 of 1979

2. In section 3-A of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause (*b*), *for* the words "ten paise and twenty five paise", the words "twenty five paise and sixty paise" shall be *substituted*.

3. In section 9 of the principal Act, in sub-section (3) following proviso shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 9

"Provided that refund of entertainment tax shall not be allowed where the State Government is satisfied that,—

(*i*) the refund of such tax has been claimed in a case where the incindence of such tax has been actually passed on to the persons who have made payment for admission; or

(*ii*) the refund of such tax has been claimed in respect of entertainment for which grant-in-aid has been received from the State Government under any incentive scheme and the proprietor has committed violation of any condition of such grant :

Provided further that claim for refund of tax shall not be entertainable unless it is made within three months from the date when such refund becomes due :

Provided also that where any amount of such tax is realized by a proprietor of an entertainment from a person admitted to entertainment in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder the said proprietor shall be required to deposit the entire amount so realized in the manner as may be prescribed."

4. *After* section 34 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 34-A

"34-A. If the tax payable under any provision of the Act remains unpaid after the expiration of the period specified in the rules made thereunder for payment of tax by the proprietor of an entertainment. Simple interest at the rate of one and half per cent per mensem up to three months and thereafter at the rate of two per cent per mensem on the unpaid amount of tax calculated from the date of such expiration shall become due and be payable." Interest

By order,

G. S. PANDEY,

Vishesh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 249 सा० विधा०--(2702)-1998--850 (मेक०)।